

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी, पूर्णिया बिहार

समक्ष-सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-28 /2022/ सी.आई.एस.क्र.-28 /2022

जंगबहादुर महतो एवं अन्य बनाम कालेश्वर महतो एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
20 /01/26	<p>वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है यह वाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष (1 से 3) की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 15/07/25 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी गण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि प्रतिवादी को इस वाद का समन प्राप्त नहीं हुआ था परन्तु तामिला प्राप्त होने के कारन दिनांक 18 /07/2024 को उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई किये जाने का आदेश पारित हो गया है अतः निवेदन है कि प्रतिवादी 1 से 3 के विरुद्ध दिनांक 18/07/24 को पारित आदेश को वापस लेते हुए लिखित कथन प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कृपा की जाए </p> <p>वादी की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर समर्पित किया गया है कि इस वाद में वादी की ओर से साक्ष्य दिया जा चुका है अतः इस आवेदन को खारिज किये जाने की कृपा की जाय </p> <p>उभयपक्ष को सूना एवं अभिलेख अवलोकन किया अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या एक एवं तीन कि विरुद्ध निर्गत समन का सम्यक तामिल घोषित कर उनके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई किए जाने का आदेश दिनांक 18/07/2024 को पारित किया गया है। ततपश्चात वादी की ओर से तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है प्रतिवादी संख्या एक ,दो एवं तीन इस वाद में उपस्थित होकर लिखित कथन प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वाद में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि उभय पक्ष की अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाए अतः न्यायहित में प्रतिवादी संख्या एक से तीन की ओर से प्रस्तुत इस आवेदन को 500 रुपये खर्च पर स्वीकृत कर दिनांक 18/07/25 के आदेश को वापस लेते हुए उनके लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है खर्चा वादी को देय होगा </p> <p>वाद दिनांक 20 /02/26 वास्ते सुलह वार्ता हेतु नियत लेखापित-</p> <p>असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार</p>	